फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा

हीरालाल बनाम श्री डूंगर (बांसड़ी) वगैरा

दफा 22/R.11 अंतरी नं. 16 सन 2019 दीवानी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/7/19 इजहार प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावे। पत्रावली दिनांक 27/8/19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, करेड़ा	
27/8/19 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है/पत्रावली अत. पत्रावली दिनांक 9/9/19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा	
9/9/19 राजकीय कार्य से बाहर है। 11/9/19 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है/पत्रावली अत. पत्रावली दिनांक 18/11/19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा	
18/11/19 पत्रावली पेश हुई पक्ष (ए) में डिक्री की पालना में तहसीलदार करेड़ा ने जमाबंदी की प्रति पेश की जो रिकार्ड मिल गई। पक्ष (ए) में डिक्री की पालना डी नं. 1204 दिनांक 05/08/19 से राजस्व रेकार्ड में की जा चुकी है। पक्ष (ए) में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फेर नम्बर होकर नम्बर से दर्ज की जावे। 18/11/19 उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा	

Scanned by CamScanner